[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 02/2026- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर, 2026

सा.का.नि.....(अ). - संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1) तथा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2025- संघराज्य क्षेत्र कर (दर), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 646 (अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः -

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची I - 2.5% में,

(i) क्र. सं. 237 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"सभी सामान अर्थात पशु या वनस्पति उर्वरक या जैविक उर्वरक पूर्व-पैक और लेबलयुक्त।

स्पष्टीकरण. - इस प्रविष्टि के अंतर्गत उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 की अनुसूची 6 के अधीन यथा पंजीकृत, समुद्री-शैवाल अर्क आधारित जैव-उद्दीपक (बायो-स्टिमुलेंट्स) सम्मिलित हैं।";

(ii) क्र. सं. 272 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

"272क.	4012	रिट्रीडेड ट्रैक्टर टायर";

(ख) अनुसूची II - 9% में, क्र. सं. 138 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"रबर के रिट्रीडेड या प्रयुक्त वायवीय टायर (रिट्रीडेड ट्रैक्टर टायर के अलावा); रबर के ठोस या कुशन टायर, टायर ट्रेड और टायर फ्लैप"।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/142/2026-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)
अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 09/2025- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 646 (अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 01/2026- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 30 अप्रैल, 2026 द्वारा सा.का.नि. संख्या 329 (अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2026 के माध्यम से किया गया था।